भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0-3/4आई.डी/2012/एस डी.आर(एच.पी) दिनांक- 18 अक्टूबर, 2012

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटो युक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा

3. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) तथा 49 ट (2) (ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिए जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केंद्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाये जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इंकार किया जा सकता है तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही प्राप्त होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है।

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त,1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को जारी करने के कार्यक्रम को लागू किया गया था, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन तंत्र ने राज्य में सभी निर्वाचकों को (100प्रतिशत) इन पत्रों को जारी कर दिया है, तथा

7. यतः आयोग ने हिमाचल प्रदेश में निर्वाचकों को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित करना शुरु कर दिया है।

8. यतः, अब सभी सुसंगत तथ्यों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि 10 अक्टूबर, 2012 को अधिसूचित साधारण निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में सभी निर्वाचक अपने मतों को डालने से पूर्व अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, उन्हें मतदान केन्द्रों में पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची को दिखाना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या जिनका फोटो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र/प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची में फोटो से मिलान नहीं होता है, तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटो दस्तावेजों, में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगाः-

(i) पासपोर्ट,
(ii) ड्राइविंग लाइसेंस,
(iii) आयकर पहचान(पैन) पत्र,
(iv) राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों, स्थायी निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
(v) पब्लिक सेक्टर बैंकों/डाक घर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पास बुक(30.9.2012 के या उससे पहले खोले गए खाते)
(vi) स्वतंत्रता सेनानी के फोटोयुक्त पहचान पत्र
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30.09.2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र
(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30.09.2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र,
(ix) 30.09.2012 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त हथियार लाईसेंस
(x) नरेगा योजना के अन्तर्गत 30.09.2012 तक जारी किए गए फोटोयुक्त जाब कार्ड
(xi) संपत्ति दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त पट्टा, डीड रजिस्ट्री इत्यादि
(xii) 30.9.2012 को या इससे पहले जारी किए गए फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन खाता/पेंशन वेतन आदेश, भूतपूर्व सैनिकों के विधवा/ आश्रित के प्रमाणपत्र, वृद्धा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश
(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड(श्रम मंत्रालय की योजना) 30.09.2012 तक जारी
(xiv) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) की योजना के अंतर्गत आर.जी.आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

9. ऊपर पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट(तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश द्वारा,
आशीष चक्रवर्ती
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव